

पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 744

=====

1. प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अवर सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
3. अभियंता-प्रमुख-सह-अतिरिक्त आयुक्त-सह-विशेष सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
4. मुख्य अभियंता, (दक्षिण बिहार क्षेत्र), सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
5. अपर सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय मंडल, सड़क निर्माण विभाग, छजुबाग, पटना।
7. कार्यकारी अभियंता, नई राजधानी उप-मंडल, सड़क निर्माण विभाग, लोदीपुर, पटना।

.....अपीलार्थी/गण

बनाम

1. बिमल कुमार रॉय, पुत्र स्वर्गीय बसंत कुमार रॉय निवासी के द्वारा-सुरेंद्र प्रसाद रॉय, गोसाई टोला, पुलिस स्टेशन-पाटलिपुत्र, जिला-पटना।
2. अखिलेश्वर कुमार वर्मा, पुत्र स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ग्राम निवासी- बांकट, पुलिस स्टेशन- बरौली, जिला-गोपालगंज
3. दिलीप कुमार सिन्हा, पुत्र स्वर्गीय श्याम बिहारी प्रसाद मोहल्ला के निवासी-पत्थर-के-मस्जिद, टिकरी रोड, देवी स्थान, मुगलानी बाग, थाना सुल्तानगंज, जिला-पटना
4. अशोक कुमार सिन्हा, पुत्र स्वर्गीय श्याम बिहारी प्रसाद मोहल्ला-पत्थर-के-मस्जिद, टिकरी रोड, देवी स्थान, मुगलानी बाग, पुलिस स्टेशन-सुल्तानगंज, जिला-पटना
5. बबन प्रसाद सिन्हा, पुत्र स्वर्गीय ईश्वर लाल द्वारा -महेश्वर प्रसाद अंबस्थ, मोहल्ला के निवासी-राधा कृष्ण कॉलोनी, रोड नंबर 1, पुलिस स्टेशन-बेउर, जिला-पटना ।
6. अशोक कुमार, पुत्र जगनारायण पंडित मोहल्ला के निवासी-नलबंदतोली (गुलजारबाग) पुलिस स्टेशन-आलमगंज, जिला-पटना।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थीगण के लिए

: श्री मनोज कुमार अम्बस्थ, एससी 26

श्री त्रिपुरारी नाथ अम्बस्थ, एससी 26 के एसी

श्री संतोष कुमार मिश्रा, एससी 26 के एसी
 श्री दिवित विनोद, अधिवक्ता
 उत्तरदाता/उत्तरदातागण के लिए : श्री अजय कुमार चक्रवर्ती, अधिवक्ता
 श्री कृष्ण मुरारी रावत, अधिवक्ता
 श्री प्रमोद कुमार प्रणव, अधिवक्ता

=====

विचारणीय मुद्दा:- क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने नीतिगत निर्णय पर इस हद तक ध्यान नहीं देने में त्रुटि की है कि दैनिक मजदूरी सेवा को उन दैनिक मजदूरों की पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है जिनकी सेवा को नियमित किया गया है।

प्रतिभागी प्रतिवादी को शुरु में साल 1984 में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाएँ अक्टूबर 2013 में नियमित कर दी गईं। 1984 से 2013 की अवधि के दौरान दैनिक मजदूरी के रूप में प्रदान की गई सेवा की गिनती से संबंधित प्रतिवादी की शिकायत पर विचार न करने के लिए-राज्य सरकार का एक नीतिगत निर्णय इस हद तक है कि दैनिक मजदूरी सेवा को पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है, जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया है-बिहार पेंशन नियमावली, दिनांकित 16.03.2006 के नियमितीकरण योजना के प्रावधानों और दिनांकित 30.10.2013 के आदेश में आरोपित खंड (याचिकाकर्ता नियमितीकरण) के आलोक में दैनिक वेतनभोगी अपनी सेवा को गिनने या पेंशन निर्धारित करने के लिए सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं।

कहा गया: विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की शिकायत का निवारण करते हुए रिट उस सीमा तक याचिका को अनुमति देने में त्रुटि की, जिस हद तक वे पेंशन निर्धारण के लिए दैनिक मजदूरी की गणना करने के हकदार हैं। दैनिक मजदूर बिहार पेंशन नियमावली, दिनांक 16.03.2006 और दिनांक 30.10.2013 (याचिकाकर्ता नियमितीकरण) के आदेश में लगाए गए खंड के प्रावधानों के आलोक में अपनी सेवा की गणना करने या पेंशन निर्धारित करने के लिए सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं।

बिहार पेंशन नियमावली, 1950-राज्य सरकार की नियमितीकरण योजना दिनांक 16.03.2006- दिनांक 30.10.2013 के आदेश में लगाया गया खंड (याचिकाकर्ता नियमितीकरण)

अभिनिर्धारित किया गया:- राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय में इस हद तक प्रावधान है कि दैनिक मजदूरी सेवा को उन दैनिक मजदूरों की पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार की दिनांकित 16.03.2006 नियमितीकरण योजना और दिनांकित 30.10.2013 के आदेश में लगाए गए खंड (याचिकाकर्ता नियमितीकरण) की वैधता पर प्रतिभागी प्रतिवादियों द्वारा सवाल नहीं उठाया गया है। उद्धृत न्यायिक निर्णय भी लागू नहीं होते हैं क्योंकि तथ्यात्मक पहलू अलग हैं। प्रतिवादी ने पेंशन के लिए गणना की जाने वाली सेवा के लिए दावा करने के निहित कानूनी अधिकार या यह दिखाने के लिए कोई विवरण भी नहीं दिया है कि वे उल्लिखित अवधि के दौरान स्वीकृत पद के विरुद्ध काम कर रहे थे।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथि- 18.01.2024

राज्य की ओर से दायर 2021 की वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 744 जिसमें अपीलकर्ताओं ने 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 18826 में पारित दिनांक 17.02.2021 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर हमला किया है। उत्तरदाताओं 1 से 6 की रिट याचिका में शिकायत निम्न प्रकार है:-

“यह कि यह सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए गैर-राजपत्रित क्षमता में प्रदान की गई याचिकाकर्ताओं की पिछली सेवाओं पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों को आदेश देते हुए उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति को रिट, परमादेश का रिट या किसी अन्य उपयुक्त रिट या रिटों के लिए आदेश या निर्देश जारी करने के लिए एक आवेदन है, उन्होंने 30 से अधिक वर्षों के लिए कर्तव्यों का निर्वहन किया और ज्ञापन संख्या 6632 (एस) 28.08.2018 (अनुलग्नक-18) को रद्द करने के लिए आगे प्रसन्न होना चाहिए जो उप सचिव सड़क निर्माण विभाग बिहार सरकार, पटना द्वारा जारी किया गया। जिसके द्वारा इस माननीय न्यायालय द्वारा 2015 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या-14304 (अनुलग्नक-15) में पारित आदेश/निर्देश की गलत व्याख्या की गई है और बिहार पेंशन नियम 1950 के नियम 59 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया गया है, जिसमें ज्ञापन संख्या 1024/69/11779-एफ दिनांक 12.08.1969 में निहित सरकारी निर्णय भी शामिल है। और माननीय न्यायालय के दिनांक 02.05.2018 के निर्देश के अनुसार 17.05.2018 को याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अभ्यावेदन को मनमाने ढंग से और गैरकानूनी रूप से खारिज और निपटाया गया। ”

2. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अमरकांत राय बनाम बिहार राज्य में प्रतिवेदित 2015 (2) पी.एल.जे.आर (एस.सी.) 437, जैसे मामले के कुछ निर्णयों पर ध्यान देते हुए रिट याचिका को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े। उत्तरदाताओं की शिकायत है कि उन्हें शुरू में वर्ष 1984 में दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को अक्टूबर, 2013 के महीने में नियमित किया गया था। राज्य सरकार के नीति निर्णय दिनांक 16.03.2006 के अनुसार 1984 से 2013 की अवधि के दौरान दैनिक मजदूरी के रूप में प्रदान की गई सेवा की गिनती

से संबंधित शिकायत पर विचार न करने के लिए 28.08.2018 को अस्वीकार कर दिया गया है, इस प्रकार 2018 की रिट याचिका सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या- 18826 दायर की गई थी। विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की शिकायत का निवारण करते हुए रिट याचिका को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि वे पेंशन के निर्धारण के लिए दैनिक मजदूरी सेवा को गिनने के हकदार हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित महसूस करते हुए राज्य ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने समर्पित किया कि दैनिक वेतनभोगी बिहार पेंशन नियमों, नियमितीकरण की योजना दिनांकित 16.03.2006 के साथ पठित लगाए गए खंड में नियमितीकरण का आदेश दिनांकित 30.10.2013 (याचिकाकर्ता नियमितीकरण) के प्रावधानों के आलोक में अपनी सेवा को गिनने या पेंशन के निर्धारण के वास्ते सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं। यह समर्पित किया जाता है कि जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की शिकायत को स्वीकार करने में त्रुटियां की हैं। वह **बिहार राज्य बनाम भगवान सिंह (पूर्ण पीठ) 2014 (4) पी. एल. जे. आर. 229 (कंडिका-14)** में प्रतिवेदित मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय पर भी भरोसा कर रहे हैं जो इस प्रकार है:

“14. उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता द्वारा कार्यकारी अभियंता, ट्यूबवेल डिवीजन, गया के तहत दैनिक वेतनभोगी चौकीदार के रूप में दी गई सेवा को ऐसी सेवा नहीं कहा जा सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के सामान्य राजस्व या किसी स्थायी प्रतिष्ठान में किसी महत्वपूर्ण पद पर दी गई सेवा से भुगतान किया गया था। हालांकि ऐसी सेवा का पालन नियमित प्रतिष्ठान द्वारा अवशोषण के बाद, किया गया पेंशन के योग्य नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा अप्रैल 1973 से दिसंबर 1978 तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा पेंशन योग्य सेवा नहीं थी या पेंशन के लिए योग्य नहीं थी। सेवा से सेवानिवृत्त होने या सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, वह 1 जनवरी, 1979 से सेवा से सेवानिवृत्त होने की तारीख तक एक महत्वपूर्ण पद पर प्रदान की गई सेवा के लिए पेंशन के हकदार होंगे।

4. प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं के वकील ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और समर्पित किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई कमजोरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा प्रत्यर्थीगण के दावा के समर्थन में एवं विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को कायम रखने के वास्ते वह, बिहार पेंशन नियम को नियम 59 एवं **महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय बनाम राम व्यास दूबे एवं अन्य** में जो 2006 की एल.पी.ए. सं. 198 में इस न्यायालय की समन्वित पीठ द्वारा 26.06.2023 को निर्णित है, एवं **नेतराम साहू बनात छत्तीसगढ़ राज्य (2018) 5 एस सी सी 430** में प्रतिवेदित एवं **अमरकांत राय बनाम बिहार राज्य 2015 (2) पी एल जे आर (एस सी) 437** में प्रतिवेदित के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा कर रहा है।

5. संबंधित पक्षों के लिए विद्वानों के गुण-दोष पर ध्यान देने से पहले बिहार पेंशन नियम 1950 के तहत पेंशन के उद्देश्य के लिए कुछ प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं:

“(बिहार पेंशन नियम, 1950) का भाग 1 नियम 2 निम्नानुसार है:-

“2. सिवाय जहाँ अन्यथा प्रावधान किया गया हो ये नियम उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर बिहार और उड़ीसा सेवा संहिता के नियम लागू होते हैं।

नियम 29 इस प्रकार है:-

“29. पेंशन योग्य सेवा का अर्थ है ऐसी सेवा जो ऐसा करने वाले सरकारी कर्मचारी को सामान्य राजस्व से पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य बनाती है।”

अध्याय VI पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त सेवा से संबंधित है। नियम 58 इस प्रकार है:

“58. एक सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक पेंशन के लिए योग्य नहीं है जब तक कि यह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो:

पहला-सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दूसरा-रोजगार सारवान और स्थायी होना चाहिए।

तीसरा-सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

इन तीन शर्तों को निम्नलिखित उप-नियमों में पूरी तरह से समझाया गया है।

उप-नियम (2) पहली शर्त- -सरकार के अधीन सेवा। नियम 60 इस प्रकार है:-

“60. एक सरकारी कर्मचारी की सेवा तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसे नियुक्त नहीं किया जाता है और उसके कर्तव्यों और वेतन को सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत विनियमित नहीं किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों जिन्हें इस नियम द्वारा पेंशन से बाहर रखा गया है के उदाहरण निम्नवत हैं:-

(1) नगरपालिका के कर्मचारीगण।

(2) अनुदान प्राप्त विद्यालयों और संस्थानों के कर्मचारीगण।

(3) राल्यपाल के घरबार भत्ते या उनके स्थापना अनुबंध भत्ते से किसी प्रतिष्ठान को दी गई सेवा के एवज में भुगतान।

नोट 1- अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने आंशिक सेवा प्रदान की है। ऐसी क्षमता में जो उसे पेंशन के दावे के योग्य बनाती है। यदि सेवा कर भुगतान सामान्य राजस्व से की गई हो। राल्यपाल के घर-गृहस्थी स्थापना पर एवं आंशिक तौर पर सामान्य राजस्व से भुगतान किए गए प्रतिष्ठानों पर तो वह

सामान्य रालस्व से अधिकृत है जो इस प्रकार से की गई सेवा की अवधि के अनुपात में की गई भुगतान हो।

उप-नियम (3)– दूसरी स्थिति–पर्याप्त और स्थायी रोजगार।

(1) सामान्य

"61. सेवा तब तक योग्य नहीं होती जब तक कि सरकारी कर्मचारी किसी स्थायी प्रतिष्ठान में पर्याप्त रूप से कोई पद नहीं रखता है।

1.

* पेंशन के लिए अस्थायी सेवा गणना के संबंध में।

अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अधीन अस्थायी सेवा या कार्यवाहक सेवा के बाद स्थायी होने पर, चाहे वह उसी पद में हो या किसी अन्य पद पर, पेंशन के लिए पूरी तरह से गणना की जानी चाहिए, सिवाय इसके कि –

(i) अस्थायी सेवा की अवधि गैर-पेंशन योग्य प्रतिष्ठान है, और

(ii) आकस्मिकताओं से भुगतान की गई सेवा की अवधि।

पेंशन के लिए पूर्ण रूप से गणना कार्यवाहक और अस्थायी सेवा की रियायत उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो पुराने पेंशन नियमों या उदारीकृत पेंशन नियमों द्वारा शासित हैं। [अधिसूचना संख्या 12928 एफ.दिनांकित 4.9.1962। इसका प्रभाव 1.8.1962 से पड़ता है।]"

अध्याय V पेंशन के लिए सेवा की गणना से संबंधित है। याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त अध्याय V के तहत नहीं आता है।

अध्याय VI-पेंशन अनुदान की शर्तें धारा 1 के तहत- याचिकाकर्ता के मामले में पेंशन का वर्गीकरण सेवानिवृत्ति पेंशन के धारा V के माध्यम से नियम 107 (डी) के तहत जाँच की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का वाद उपरोक्त प्रावधान के तहत नहीं आता है।

"59. हालाँकि, प्रांतीय सरकार सामान्य राजस्व से भुगतान की जाने वाली सेवा के मामले में, (1) और (2) में से किसी एक या दोनों शर्तों के द्वारा भी पूरा नहीं होते हैं।

(1) घोषणा करें कि गौर राजपत्रित क्षमता में प्रदान की गई किसी भी विशिष्ट प्रकार की सेवा पेंशन के लिए योग्य होगी;

(2) व्यक्तिगत मामलों में, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह प्रत्येक मामले में लागू करना उचित समझे, निर्देश दें कि एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा को पेंशन के लिए गिना जाएगा।"

6. राज्य सरकार ने 16.03.2006 को खंड-5 पर दैनिक वेतनभोगियों/तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के उद्देश्य से एक योजना विकसित की है जो इस प्रकार है:-

"यदि किसी विभाग/कार्यालय में रिक्ति नहीं हो तो ऐसे विभाग/कार्यालय में कोई दैनिक वेतनभोगियों को, विशेष परिस्थिति में उनके द्वारा लम्बी अवधि तक दैनिक मजदूरी कार्यरत रहे जाने के आलोक में अनुकम्पा के आधार पर विचार करते हुए उनके द्वारा वेतनभोगी कर्मों के रूप में पूर्ण किये गए वर्ष (जिस वर्ष में कम से कम 240 दिनों तक किया गया हो) के अनुसार प्रतिवर्ष के लिए 15 दिनों का नियमानुसार लागू पारिश्रमिक देकर दिया जायेगा। परन्तु ऐसा पारिश्रमिक 20 वर्षों से अनधिक अवधि मात्र के लिए देय होगा।"

7. प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की सेवाओं में से एक को 30.10.2013 को नियमित किया गया था और यह निम्नानुसार है:

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय

केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, छज्जूबाग, पटना-1

कार्यालय आदेश संख्या- 2784 दिनांक-30/10/13

कार्यालय आदेश

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति, पटना के ज्ञापांक 271/मु० दिनांक 10. 10.2013 के आलोक में जिला स्तरीय चयन समिति के अनुशंसानुसार दैनिक वेतन भोगी श्री विमल कुमार राय, पिता- स्व० वसंत कुमार राय, मो०-गोसाईटोला, पो०-पाटलीपुत्रा, थाना-पाटलीपुत्रा जिला-पटना को इस अंचल के अधीन नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना में कार्यभारित नियमित स्थापना अर्न्तगत समूह 'घ' (वर्ग 4) खलासी के स्वीकृत पद पर पुनरीक्षित वेतनमान के पे-बैंड 5200-20200 ग्रेड वेतन 1800 में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते के साथ योगदान की तिथि से निम्न शर्तों के अध्याधीन नियुक्त किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है तथा बिना पूर्व सूचना अथवा कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

2. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव के लागू होगा तथा पूर्व में दैनिक वेतन भोगी या अन्य रूप में की गई सेवा की गणना किसी प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

3. उप सचिव, प०नि०वि०, बिहार पटना के पत्र सं० 8399 (एस०) दिनांक 29.10.13 द्वारा इनका अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त करने की स्वीकृत प्राप्त हो चुका है।

4. जाँच के दरम्यान यदि यह पाया गया कि इनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जाली है तो इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी, तथा इनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. योगदान के समय इन्हें असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. योगदान के लिए इन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/-

अधीक्षण अभियन्ता

केन्द्रीय अंचल, प०नि०वि०, पटना

खंड-2 नियमित व्यक्ति की पेंशन के लिए सेवा की गणना के लिए निषेध करता है, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने दिनांकित 16.03.2006 के उद्धृत (ऊपर) आदेश के खंड-5 की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है और इसी तरह दिनांकित 30.10.2013 के नियमितीकरण आदेश के खंड-2 की वैधता पर भी सवाल नहीं उठाया है, दूसरे शब्दों में, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने सामान्य क्रम के साथ-साथ नियमितीकरण के क्रम दोनों में लगाई गई शर्त को तब तक स्वीकार किया है जब तक कि सामान्य आदेश और नियमितीकरण आदेश में उल्लिखित शर्तों पर सवाल नहीं उठाया जाता है और सक्षम मंच द्वारा अलग नहीं किया जाता है। प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं ने पेंशन के लिए दैनिक मजदूरी सेवा की गिनती में अभी तक कोई मामला नहीं बनाया है।

8. जो भी हो, प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से उद्धृत निर्णयों को ध्यान में रखते हुए वे निर्णय वर्तमान मामले को तय करने के उद्देश्य से प्रासंगिक नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, मामले के तथ्यात्मक पहलू पूरी तरह से अलग हैं। उन मामलों में, दिनांक 16.03.2006 के आदेश का खंड-5 और इसलिए दैनिक मजदूरी सेवा की गिनती से इनकार करने वाली कोई भी शर्त और उनके नियमितीकरण आदेश में इसकी चुनौती विषय वस्तु नहीं थी। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान में रखे गए निर्णय और प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से उद्धृत निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं

होते हैं। इस स्तर पर, नायर सर्विस सोसाइटी बनाम बीरमस्थान एवं अन्य (2009)5 एससीसी 545, में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ध्यान देना आवश्यक है,

“48 उत्तरदाताओं द्वारा हमारे समक्ष कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सेवा न्यायशास्त्र में निर्णयों को उस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले राज्य में विशेष सेवा नियमों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। आरक्षण के प्रावधान प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं और विभिन्न राज्य सरकारों के पास आरक्षण के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। नियमों को कोई चुनौती नहीं है, और जिसे चुनौती दी गई है वह केवल आवेदन के मामले में है। अपनी राय में एक ब्लॉक के रूप में 20 रिक्तियों को लेते हुए सांप्रदायिक आवर्तन को लागू करना होगा।

9. नायर सर्विस सोसाइटी के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, नियमितीकरण के क्रम में खंड-2 के साथ पठित दिनांकित 16.03.2006 के आदेश में खंड-5 योजना के साथ पठित प्रतिद्वंद्वियों की ओर से उद्धृत निर्णय, उद्धृत न्यायिक घोषणाएं वर्तमान मामले में तब तक लागू नहीं होती हैं जब तक कि सक्षम मंच दिनांकित 16.03.2006 एवं 30.10.2013 के आदेश में उद्धृत (उपर्युक्त) प्रासंगिक खंडों को अलग करता है।

10. विद्वत एकल न्यायाधीश ने गणना योग्य नहीं होने के उद्देश्य से दैनिक मजदूरी की सेवा से इनकार करने के संबंध में दिनांक 16.03.2006 के सामान्य आदेश में लगाए गए खंड पर विचार नहीं किया है और इसलिए स्वतः हस्तक्षेप किया है और अलग रखा है, इसी तरह नियमितीकरण के आदेश में खंड-2 उद्धृत किया गया है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया है। या यह तर्क देने के लिए अलग रखा जाता है कि यह अनुच्छेद 14 या किसी अन्य न्यायिक घोषणाओं का उल्लंघन है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए त्रुटियों की है कि राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय इस हद तक है कि दैनिक मजदूरी सेवा को उन दैनिक मजदूरों की पेंशन निर्धारित करने के उद्देश्य से नहीं गिना जा सकता है जिनकी सेवाओं को नियमित किया गया है।

11. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने एक मामला बनाया है ताकि 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 18826 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 17.02.2021 में हस्तक्षेप किया जा सके और इसे 2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 18826 को खारिज करते हुए दरकिनार कर दिया गया है।

12. 2021 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 744 स्वीकृत की जानी है।

13. इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि अनुलग्नक-ए 4 के साथ पढ़ा गया अनुलग्नक-ए 1 दैनिक मजदूरी सेवा को गिनने का निहित कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अनुलग्नक-1 सामान्य आदेश दिनांकित 18.06.1993 है जो निम्नानुसार है:

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संकल्प
ज्ञाप सं० 3/एम 1-1069/88 (खण्ड) का० 5940, दिनांक 18 जून, 1993
की प्रतिलिपि।]

विषय: राजकीय उपक्रमों एवं सरकार के अधीनस्थ दैनिक
वेतनभोगी कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने
के संबंध में।

दैनिक वेतनभागी, मास्टर रौल, आकस्मिक भृत्य आदि
कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति के संबंध में विभिन्न संघों द्वारा उठाये गये माँगों
पर फरवरी, 1992 में राज्य सरकार एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के महासंघ /
समन्वय समिति के साथ निम्न समझौते हुए हैं-

संबंधित विभाग द्वारा उनके अधीनस्थ अनुमान्य रिक्त पदों के
विरुद्ध इन वर्गों के कर्मियों को आरक्षण नियम-अर्हता, पद अनुमान्यता एवं
आवश्यकता तथा इस हेतु निर्धारित कट-ऑफ-डेट के आलोक में वरीयता पदों
के विज्ञापन संबंधी कानून का पालन करते हुए नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय
समिति निर्णय लेगी। कार्मिक विभाग विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।"

उक्त समझौते के आलोक में सम्यक रूप से विचारोपरान्त
सरकार ने निम्नलिखित निर्णय दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रौल, आकस्मिक मृत्य
आदि कर्मचारियों (जिन्हें आगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कहा जायेगा) को
स्वीकृत रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में लिया
है-

1. राज्य सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों के दैनिक वेतनभोगी
कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में समय-समय पर
आवश्यक निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिया गया था कि सरकारी कार्यालयों में
ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जाये तथा दिनांक 1-8-1985 के बाद की गयी ऐसी
अनियमित नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाये। अतएव कट-ऑफ-डेट 1-8-
1985 होगा, अर्थात् वैसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो दिनांक 1-8-1985 के
पूर्व से कम-से-कम 240 दिनों से कार्यरत् हैं, उन्हें अन्य परिस्थितियाँ समान
रहने पर नियुक्ति में अधिमानता देने पर विचार किया जाये।

2. वर्ग 3 एवं 4 की नियुक्ति के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र लागू होंगे।

3. दिनांक 1-12-1991 को विभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों के रिक्त स्वीकृत पद की जाँच कर ली जाये।

4. दिनांक 1-12-1991 को चतुर्थ वर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों की अनुमान्यता की जांच वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं० 3110, दिनांक 10-4-1986 के आलोक में कर ली जाये।

5. स्वीकृत एवं अनुमान्य रिक्त पदों के कार्यहित में भरना आवश्यक है या नहीं, इसे ध्यान में रखा जाये।

6. ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम का पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

7. संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हतायें विशेषतः न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का पालन किया जाये।

8. आरक्षण नियम का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाये।

9. उपरोक्त रूप से योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमित सेवा में अधिमानता में निम्नवत् समिति गठित की जाये-

1. विभागीय सचिव अध्यक्ष।

2. विभागाध्यक्ष सदस्य।

3. स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति/
जनजाति के मनोनीत प्रतिनिधि सदस्य।

4. संबंधित विभाग के स्थापना प्रभारी पदाधिकारी सदस्य।

10. उपरोक्त रूप से योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित सेवा में अधिमानता के आधार पर वर्ग 3 एवं 4 के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु प्रत्येक लोक उपक्रम इकाइयों के लिय यह कार्य अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो की अध्यक्षता में गठित निम्नांकित समिति द्वारा किया जायेगा-

1. अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो अध्यक्ष।

2. संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव सदस्य।
3. संबंधित उपक्रम के प्रबंध निदेशक सदस्य।
4. स्थापना समिति में पूर्व से अनुसूचित जाति/
जनजाति के मनोनीत सदस्य सदस्य

11. उपर्युक्त समिति अपने सचिवालय, निदेशालय, संबद्ध कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से वांछित सूचनाएँ प्राप्त कर तथा उपर दी गयी सभी शर्तों के अनुपालन की जांच कर रिक्त एवं अनुमान्य पदों पर योग्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अन्य बिन्दु समान होने पर उनकी वरीयता के आधार पर अधिमानता देने के लिए पैनल तैयार करेगा। पैनल तैयार करते समय आरक्षण के रोस्टर बिन्दु का पूर्णरूप से अनुपालन किया जायेगा। पैनल में आनेवाले ऐसे व्यक्ति की आयु यदि सरकारी सेवा में प्रवेश करने की आयु से अधिक पाई जाये तो उनके मामले में आयु सीमा को शिथिल करने के लिए विभागीय सचिव, आयुक्त या जो भी सक्षम पदाधिकारी हो, का आदेश प्राप्त करना होगा। ऐसे तैयार किये पैनल की सूचना सक्षम पदाधिकारी / पदाधिकारियों को समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित विभाग/ब्यूरो के द्वारा दी जायेगी तथा वित्त विभाग को पूर्ण सूचनाओं के साथ अवगत करायेगी।

12. 1-8-1985 के बाद नियुक्त वेतनभोगी व्यक्तियों की सेवा समाप्त कर दी जाये। इण्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट ऐक्ट से कोभरड कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के संबंध में प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई की जाये।

13. उक्त व्यवस्था के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई हो तो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

14. अनुलग्नक-4 दिनांक- 15.12.2000 इस प्रकार है:-

बिहार सरकार,

पथ निर्माण विभाग।

पत्र सं०-ई 4/मुकदमा-111/99- दिनांक: 15/12/2000

8940(5)

प्रेषक,

श्री अजय कुमार सिंहा,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, प०नि०वि०, पटना। विषय: पथ निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन दि० 1-8-85 तक 240 दिनों की लगातार सेवा करनेवाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में। महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव की अध्यक्षता में विभागीय समिति की दिनांक 22-9-2000 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय की कार्यवाही के साथ योग्य घोषित वैसे कर्मचारियों जो दिनांक 1-8-85 को 240 दिनों की सेवा पूरी करते हुए आप के अधीनस्थ कार्यालय में कार्यरत हैं उनके मांगों की सूची इस आशय के साथ भेजी जा रही है कि कार्यवाही के सभी कंडिकाओं, समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुत्व वांछित कार्रवाई की जाय तथा उसकी सुचना अद्योहस्ताक्षरी को भी दी जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि आपके उपभाग/अंचल से संबंधित सूची में कोई त्रुटि पाई जाय तो उसे अविलंब प्रकाश में लाया जाय।

अनु०-यथोक्त 03 पृष्ठ में।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव, प०नि०वि०, पटना।

ह०/-

15. उपरोक्त दस्तावेजों को पढ़ने से पेंशन के उद्देश्य से सेवा के लिए दावा करने का कोई निहित कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। इसके अलावा विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ गए हैं कि जैसे कि प्रतिद्वन्दी उत्तरदाताओं को इस संबंध में स्वीकृत पद के खिलाफ काम करने के लिए कहा गया था, उन्होंने अनुलग्नक-ए1 उद्धृत (ऊपर) का हवाला दिया है और अनुलग्नक-ए1 पेंशन के लिए दैनिक मजदूरी सेवा की गिनती से संबंधित नहीं है। यहाँ तक कि प्रतिद्वन्दी उत्तरदाताओं ने यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री प्रस्तुत की कि वे वर्ष 1984 से 30.10.2013 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत पद के खिलाफ काम कर रहे थे। प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने 30.10.2013 को नियमितीकरण की तारीख की वैधता पर भी इस हद तक सवाल नहीं उठाया है कि वे पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नियमितीकरण के हकदार हैं और जब प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं में से प्रत्येक ने शीर्ष अदालत के फैसले

के आलोक में 10 साल की सेवा पूरी की है जैसा कि सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किया गया है।

16. तदनुसार, आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

आनंद कु./-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।